न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 98/2025 राजस्व वाद

01. श्रीमती वरदी देवी पत्नी श्री देवी लाल सुथार आयु वयस्क निवासी– देवगढ़ हाल निवासी– भीलवाडा तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज0)

—— वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

—— प्रतिवादी

वादपत्र बाबत तरमीम दुरूस्ती, घौषणा
वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88,89,92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1. श्री बन्टु सिंह चुण्डावत
2. पेरोकार सरकार

——अधिवक्ता वादी

—— प्रतिवादी सख्या 01

:: निर्णय ::

दिनांक–08.09.2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादी के विरूद्व वादपत्र बाबत तरमीम दुरूस्ती, घौषणा के तहत इस आशय का पेश किया कि वादीया के संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य की खातेदारी हक अतिकारो की कृषि आराजियात ग्राम मियाफलास कका खेड़ा पटवार हल्का धुंवाला (क) तहसील करेडा जिला भीलवाडा मे आराजी नम्बर 3630/3096 रकबा 0.5059 हैक्टयर भूमि स्थित है, जे वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे वादीया के नाम पर संयुक्त खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है, जिसमे वादीया का 3/4 हक हिस्सा निहित है, जिस पर वादीया काबिज हो काश्तकार उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। उक्त आराजियात वादीया के नाम पर सयुक्त खातेदारी हक अधिकार हक से दर्ज रेकार्ड है, जिस पर वादीया क्रय की दिनांक से ही काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करती चली आ रही है, उक्त आराजियात को वादीया ने खातेदार देवा पिता लालू तेली से 01 बीघा 10 बिस्वा भूमि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 31/01/2017 को क्रय की, जहां पर खातेदार देवा पिता लालू तेली का कब्जा थ, उसी अनुसार देवा तेली ने कब्जा सिपुर्द किया गया व वादीया काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। उक्त आराजी का शेष 1/4 हक हिस्सा खातेदार अशोक पुत्र श्री चन्दनमल जैन निवासी– देवगढ़ ने खातेदार जी से क्रय किया, जिस पर अशाोक कुमार काबिज है। वादीया ने अपने 3/4 हक हिस्से पर लाखो रूपये खर्च कर उपजाऊ बनाया व उक्त आराजी की सुरक्षा संरचना कर रखी है वादीया मौके पर काबिज है, लेकिन राजस्व कर्मचारीयो ने गलत तरमीम कर दी है, जबकि वादीया व खातेदार अशो के नाम पर कुल 02 बीघा है, मोके पर आराजी विद्यमान है, किन्तु राजस्व नक्शे मे 02 बीघा के अनुसार तरमीम नही है, उक आरजी की पत्थरगढ़ी का न्यायालय श्रीमान् के समक्ष आवेदन किया गया, जिसके प्रकरण संया 38/2024 है, जिस पर न्यायालय आदेशानुसार दिंनाक 10/12/2024 को पटवार हल्का व गिरदावर मौके पर पत्थरगढी करने आये तव उन्होने मौके पर रकबे अनुसार आराजी तरमीम नही है। इस पर उक्त आराजी को पूर्व नक्शे अनुसार तरमीम करने हेतु निवेदन किया, लेकिन करने से इंकार कर दिया, इसलिये वादीया की आराजी को वर्तमान मे राजस्व नक्शे मे तरमीम की गयी है, को इन्द्राज दुरूरती कर वादीया की आराजी के पूर्व नक्शे मे की गई तरमीम के अनुसार एवं जहा पर वर्तमान मे वादीया का कब्जा है, जिस अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे मे तरमीम किया जाना न्यायोचित है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया व प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश नही करने से जवाब बंद किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात को शामिल पत्रावली किये गये।

अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गयी व अधिवक्ता द्वारा वाद के तथ्यो को दोहराते हुए राजस्व रेकार्ड मे तरमीम दुरुस्त करने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

मैने वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी व वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, वादग्रस्त आराजियात जो कि पत्थरगढी मौका पर्चा अनुसार राजस्व नक्शे मे कम तरमीम है, जिसे नायब तहसीलदार ज्ञानगढ से प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं कब्जा अनुसार तरमीम कराया जाना व उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादीया का वादपत्र स्वीकार कर सरहद मियापलास का खेड़ा पटवार हल्का धुंवाला (क) भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गारेख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) की आराजी नम्बर 3630/3096 रकबा 0.5059 हैक्टयर भूमि जो राजस्व नक्शे मे वादीया के कब्जे अनुसार व जमाबदी रेकार्ड मे दर्ज रकबे मे नायब तहसीलदार ज्ञानगढ से प्राप्त प्रस्तावित नक्शे अनुसार तरमीम की शुद्व किये जाने के आदेश दिये जाते है प्रस्तावति नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। उक्तानुसार डिकी जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

न्यायालय : उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिकी ::

(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

ठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

कदमा नम्बर 98 / 2025 राजस्व वाद

01. श्रीमती बरदी देवी पत्नी श्री देवी लाल सुथार आयु वयस्क निवासी– देवगढ़ हाल निवासी– भीलवाड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

—— प्रतिवादी

वादपत्र बाबत तरमीम दुरुस्ती, घोषणा

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88,89,92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से श्री बन्नु सिंह चुण्डावत , एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 08.09.2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिकी की जाती है कि और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि नील को दी जायें।

वादीया का वादपत्र स्वीकार कर सरहद मियापलास का खेडा पटवार हल्का धुंवाला (क) भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गारेख्या तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) की आराजी नम्बर 3630 / 3096 रकबा 0.5059 हैक्टयर भूमि जो राजस्व नक्शे मे वादीया के कब्जे अनुसार व जमावदी रेकार्ड मे दर्ज रकबे मे नायब तहसीलदार ज्ञानगढ से प्राप्त प्रस्तावित नक्शे अनुसार तरमीम की शुद्व किये जाने के आदेश दिये जाते है प्रस्तावति नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें। उक्तानुसार डिकी जारी करे। फरिकेन खर्चा अपना अपना वहन करे।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

आज दिनांक 08.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)